



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट-दिनांक 08.06.2026

#CRACKDOWN

- पुलिस एवं बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ।
- इटावा पुलिस द्वारा 03 शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार ।
- मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त के दाँये पैर एवं 01 अभियुक्त के बाँये पैर में लगी गोली ।
- कब्जे से चोरी की 01 हीरो स्पलेंडर मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 खोखा कारतूस, 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मिस कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 अपाचे मोटर साइकिल एवं 15,000/- रुपये नकद बरामद ।

अपर महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीशचन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना श्री रामदवन मौर्या के नेतृत्व में थाना बकेबर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना /गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में दिनांक 08.06.2026 को थाना बकेबर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत इकनौर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग की जा रही थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 02 मोटर साइकिलों पर सवार 03 व्यक्ति इकनौर तिराहे की ओर आ रहे । सूचना पर कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा सघन चैकिंग की जाने लगी । तभी 02 मोटर साइकिल आती दिखाई दी पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो वह पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर ग्राम इकनौर की ओर भागने लगे जिस पर पुलिस टीम द्वारा जरिये दूरभाष द्वितीय थाना मोबाइल टीम को अवगत कराया गया । स्वयं को दोनों ओर से पुलिस टीमों से घिरता देख पुनः पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो अभियुक्त आशीष उर्फ भोला के बाँये पैर में एवं अभियुक्त राज उर्फ कौशल के दाहिने पैर में गोली लगी जिन्हें घायल अवस्था में 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 खोखा एवं 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मिस कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया ।

घायल अभियुक्त आशीष उर्फ भोला एवं अभियुक्त राज उर्फ कौशल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया ।

बरामद अपाचे मोटर साइकिल को एमवीएक्ट की धारा 207 में सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. राज उर्फ कौशल पुत्र जनविजय सिंह निवासी गुलजार नगर थाना बकेबर जनपद इटावा उम्र करीब 22 वर्ष ।
2. आशीष कुमार उर्फ भोला पुत्र रामशंकर निवासी टिलीटिला थाना बकेबर जनपद इटावा उम्र करीब 22 वर्ष ।
3. शिवा पुत्र मकरंद सिंह निवासी भवानीपुर थाना बकेबर जनपद इटावा उम्र करीब 19 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 162/2026 धारा 109/317(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बकेबर जनपद इटावा ।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 खोखा, 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मिस कारतूस 315 बोर एवं 01 हीरो स्पलेंडर मोटर साइकिल(चोरी की), 15,000/- रु0 नकद व घटना में प्रयुक्त 01 अपाचे मोटर साइकिल बरामद । पुलिस टीम द्वारा बरामद मोटर साइकिल एवं नकदी के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह नकदी हम लोगों ने लखना तिराहे के पास से चोरी की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 161/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है ।

उक्त गिरफ्तारी /बरामदगी एवं पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 162/2026 धारा 109/317(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया एवं मु0अ0सं0 161/2026 धारा 303(4) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी ।

बरामदगी:-

1. 01 हीरो स्पलेंडर मोटर साइकिल
2. 03 अवैध तमंचा 315 बोर
3. 04 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर
5. 01 मिस कारतूस 315 बोर
6. 01 अपाचे मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त)
7. 15,000/- रुपये नकद (मु0अ0सं0 161/2026 से संबंधित)

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष बकेवर श्री विपिन मलिक मय टीम